

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 3451/जो.एस.
दिनांक: 28/5/2007

प्रेषक,
श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलाधिपति,
श्री गुरु हरिकृष्ण महाविद्यालय,
झांसी।

आपके पत्रांक-दु.वि.०/एकी०/२००६/७५६-५८ दिनांक २०-११-२००६ के संदर्भ में मुझे आपकी सूचना प्राप्त
हो चुकी है कि महाश्री कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के
अनुच्छेद ३(७) के अधीन श्री गुरु हरिकृष्ण महाविद्यालय, झांसी को स्नातक स्तर पर वाणिज्य प्रकाश के अन्तर्गत
प्रवेश प्रदान करने के लिए आपकी प्रतिपत्ति को अन्तर्गत विनिलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००७ से
प्रवर्धित करने की स्वीकृति सहित प्रदान कर दी है:-

संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनार्देश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(६२)/२००२, दिनांक
२ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनार्देशों को
पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणामावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय
द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो
उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रवर्धन की
सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री गुरु हरिकृष्ण महाविद्यालय, झांसी।

Principal
Sri Guru Harkishan Degree College

ATTESTED
Principal
Sri Guru Harkishan Degree College

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

Principal
Sri Guru Harkishan Degree College
JHANSI

(Ankit S. S. Khosla)
President
Guru Harkishan Degree College
JHANSI - 201001

S.A.I
01.6.7